न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्री कार्तिकेय मीणा, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **142/2021** दायर दिनाँक **12.07.2021**

वादी		प्रतिवादी
1. अब्दुल गफार पुत्र हाजी कासम जाति देशवाली निवासी दादुबासनी हाल निवासी बेगाना बस्ती डीडवाना तहसील— डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री लाल सिंह गोदारा वकीलवादी।
2. तहसीलदार डीडवाना प्रतिवादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **19.08.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा अमरपुरा में राजस्व भूमि खसरा सं0 342 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा अवस्थित रही है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 162 है तथा 162 के नये खसरा सं0 342 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा बने। पुराने खसरा सं0 162 के नये बने खसरा सं0 342 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा जमीन गै0मु0 सडक में चला गया तथा शेष बची भूमि नये बने खसरा नम्बर 342 में अंकित हो गयी। जो संवत 2061 से 2064 की जमाबन्दी में स्पष्ट है। नकल जमाबन्दी व खसरा मिलान पेश है।

राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही उक्त पद संख्या 01 की भूमियों पर वास्तविक व भौतिक कब्जा काश्त वादी के पिता कासम का रहा है उनके स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादी का ही है।

राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व भूमि से कालान्तर में गलत रूप से संवत 2025 को महकमा कस्टोडियम के नाम से खातेदारी दर्ज हो गई। जिसका उस वक्त मौका का किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं करके केवल मात्र कागजी कार्यवाही करके ही [illegible] कस्टोडियम दर्ज कर दिया गया है जबकि सम्पूर्ण भूमि पर [illegible] कब्जा काश्त रहा है। वादी के अलावा अन्य [illegible] कस्टोडियम विभाग या अन्य [illegible] नहीं है तथा वादी व उसके परिवा[illegible]पाकिस्तान नहीं गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पुराने रेकर्ड में महकमा कस्टोडियम गलत रूप से दर्ज हुआ था। जो राजस्व कर्मचारियों के गलत अंकन के कारण दर्ज हो गया। जिसे वादी शुद्धिकरण करवाकर पुरानी कदीमी समय से वादी के कब्जा काश्त की चली आ रही कृषि भूमि को वादी अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी है। जिस हेतु यह वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है।

वाद हेतुक तब उत्पन्न हुआ जब माह जुलाई 2021 में वादी अपनी कब्ता काश्त की पैत्रिक भूमि खसरा सं0 342 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा पर काश्त करने लगा तो प्रतिवादी सं0 01 के कर्मचारियों ने उसे ऐसा मना करने से मना किया तथा राजस्व कर्मचारियों क गलती से उक्त वादी की पैत्रिक कृषि भूमि को महकमा कस्टोडियम के नाम से दर्ज कर दी गई जो एक राजस्व कर्मचारियों की बडी भुल रही है। इसलिए उक्त वादी की पैत्रिक जायगा के नये खसरा सं0 342 रकबा 4.11 बीघा का वादी के पूर्वजों के कब्जा काश्त की भूमि को महकमा कस्टोडियन दर्ज की गई है। परन्तु कब्जा काश्त कदीमी समय से वादी का है। उक्त रिकॉर्ड अशुद्धि के कारण राजस्व कर्मचारी की गलती के कारण वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि के हल्का पटवारी व तहसीलदार डीडवाना द्वारा बार–बार बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है एवं वादी के हितों व अधिकारों को चुनोती देने लगने से बमुकाम ग्राम अमरपुरा तहसील डीडवाना में उत्पन्न, जो न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। वाद अन्दर मयाद है।

प्रार्थना वादी है कि:–

वाके सरहद अमरपुरा के पुराना खसरा नम्बर 162 जिसके नये खसरा सं0 342 रकबा 04.11 बीघा जो वादी की कदीमी समय से पैत्रिक कब्जा काश्त की भूमि रही है उक्त खसरा नम्बर 342 रकबा 4.11 बीघा के पक्ष मे डिक्री जारी करने की कृपा करावें। अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित व लाभ का हो की डिक्री भी वादी के पक्ष में जारी करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार डीडवाना ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा सं0 342 वर्तमान खसरा सं0 466 में किसी प्रकार की काफी वर्षो से काश्त नहीं की गई है गिरदावरी की नकल अवलोकन हेतु साथ में पेश ह एवं मौके पर खसरा के अधिकाशं भाग पर आवासीय मकानों का निर्माण होकर निवासरत है तथा इस खसरे में एक धार्मिक मस्जिद भी बनी हुई है। जब मौके पर धार्मिक स्थल व निवासरत मकान बने हुये है तो इस से स्पष्ट होता है कि इस खसरे में कभी भी वादी क द्वारा काश्त नहीं की गयी है इस प्रकार से वादी के खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

वाद में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादी सरहद अमरपुरा के पुराना खसरा नम्बर 162 जिसके नये खसरा सं0 342 रकबा 04.11 बीघा जो वादी की कदीमी समय से पैत्रिक कब्जा काश्त की भूमि रही है जिसकी घोषणा खातेदारी कराने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:24 IST
Reason: SelfAttested

2. आया वाके सरहद अमरपुरा के खसरा सं0 342 वर्तमान खसरा सं0 466 में किसी प्रकार की काफी वर्षो से काश्त नहीं की गई है गिरदावरी की

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नकल अवलोकन हेतु साथ में पेश ह एवं मौके पर खसरा के अधिकाशं भाग पर आवासीय मकानों का निर्माण होकर निवासरत है तथा इस खसरे में एक धार्मिक मस्जिद भी बनी हुई है। जब मौके पर धार्मिक स्थल व निवासरत मकान बने हुये है तो इस से स्पष्ट होता है कि इस खसरे में कभी भी वादी क द्वारा काश्त नहीं की गयी है इस प्रकार से वादी के खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

जिम्मे प्रतिवादी

3. अनुतोष

साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र पेश हुआ। दस्तावेजी साक्ष्य में खसरा गिरदावरी 2011 से 2014 प्रदर्श–1, जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत 2061–64 प्रदर्श–3, खतोनी संवत 2006 प्रदर्श–4, खसरा मिलान क्षेत्रफल संवत 2022 प्रदर्श–5 पेश हुए। प्रतिवादी की तरफ से किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं होने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती है।

बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा गिरदावरी 2011 से 2014 प्रदर्श–1, जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत 2061–64 प्रदर्श–3, खतोनी संवत 2006 प्रदर्श–4, के अनुसार कब्जा काश्त वादी व वादी के पूर्वजों की रही है तथा वर्तमान में विवादित जायगा पर कब्जा काश्त वादी का ही है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा स्वीकार कर वाके सरहद अमरपुरा के पुराना खसरा सं0 162 जिसके नये खसरा सं0 342 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा का वादी को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 19.08.2021 को सरे इजलासमें सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:24 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 142/2021 दायर दिनाँक 12.07.2021

वादी		प्रतिवादी
1. अब्दुल गफार पुत्र हाजी कासम जाति देशवाली निवासी दादुबासनी हाल निवासी बेगाना बस्ती डीडवाना तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 19.08.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लालसिंह गोदारा वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा मौजा वाके सरहद अमरपुरा के पुराना खसरा सं0 162 जिसके नये खसरा सं0 342 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा का वादी को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–..... .....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.08.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पार्टी से डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner